संख्या-04/2023/29/26-3-2023/C.N.- 1396097

प्रेषक,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र लखनऊ।
2-निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 06 जनवरी, 2023

विषय- वित्तीय वर्ष /शैक्षिक सत्र 2022-23 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9 व 10) की कक्षाओं से सम्बन्धित डाटा का जनपद स्तर से अवशेष सत्यापन पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-3946/स0क0/शिक्षा-अ/2/76/2022-23 दिनांक 03.01.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9 व 10) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के स्तर पर लम्बित डाटा के निर्णय के साथ-साथ मांग सृजित कराना एवं छात्रों के आधार सीडेड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित किये जाने की कार्यवाही हेतु पोर्टल खोलने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। शासनादेश संख्या-128/2022/2983/26-3-2022-4(215)/90टी.सी.।।। दिनांक 20.12.2022 द्वारा छात्रों के स्तर से ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया से लेकर वितरण तक की कार्यवाही हेतु समय-सारिणी निर्गत की गयी थी। निदेशक के उक्त प्रस्ताव दिनांक 03.01.2023 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9 व 10) योजनान्तर्गत निम्नानुसार पोर्टल खोलने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही की निर्धारित समयावधि कक्षा 9-10 हेतु	प्रक्रियात्मक कार्यवाही हेतु संशोधित समयावधि कक्षा 9-10
1	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	20 दिसम्बर , 2022 से 30 दिसम्बर , 2022 तक।	06 जनवरी , 2023 से 13 जनवरी , 2023 तक
2	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	05 जनवरी 2023 तक।	20 जनवरी , 2023 तक।
3	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई) पेमेण्ट- **e-payment**) के तहत **PFMS** के माध्यम से छात्रछात्राओं के आधार सीडेड बैंक खातों / किया जाना। में सीधे धनराशि अन्तरित	10 जनवरी , 2023 तक।	25 जनवरी , 2023 तक।

नोट- पूर्व में शासनादेश संख्या-128/2022/2983/26-3-2022-4(215)/90टी0सी0।।।, दिनांक 20.12.2022 द्वारा निर्गत समय-सारिणी यथावत लागू रहेगी।

भवदीय,

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पृ0सं0-04/2023/29(1)/26-3-2023 तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/ मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।